भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 448
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि योग्य भूमि की मानसून पर निर्भरता

448. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत की लगभग 51 प्रतिशत कृषि योग्य ज़मीन अभी भी मॉनसून पर निर्भर है, जिससे मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान होता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में मॉनसून से जुड़ी अनिश्चितताओं जैसे सूखा, बाढ़, या असमान बारिश के कारण अनुमानित फसल नुकसान वर्ष-वार कितना हुआ और कितने किसान प्रभावित हुए;

(ग) किसानों को मॉनसून से होने वाले नुकसानों से बचाने, सिंचाई, अवसंरचना को मज़बूत करने और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं, और इन उपायों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम पूर्वानुमान, और किसानों की आय पर मॉनसून के कुप्रभावों को कम करने, कर्ज़दारी से बचने और आत्महत्या करने संबंधी मामलों को रोकने के लिए कौन सी प्रभावी नीतियां लागू की गई हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): नवीनतम प्रकाशित भू-उपयोग सांख्यिकी-एक झलक, 2023-24 के अनुसार, देश में निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा 59.3% है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान सूखे के कारण राज्यवार फसल क्षेत्र की क्षति का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	राज्य	आपदा	फसल क्षेत्र की क्षति (हेक्टेयर में)
2022-23	झारखंड	सूखा (खरीफ)	8,13,593
2023-24	कर्नाटक	सूखा (खरीफ)	45,56,311
	महाराष्ट्र	सूखा (खरीफ)	24,75,992
	आंध्र प्रदेश	सूखा (खरीफ)	6,36,275
		सूखा (रबी)	2,52,576
2024-25	झारखंड	सूखा (खरीफ)	1,06,617
		सूखा (रबी)	1,28,147

(ग) एवं (घ): किसानों के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं **अनुबंध** पर दी गई हैं।

अनुबंध

किसानों के लिए लागू योजनाएँ

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) :

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश में केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी का मुख्य उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।

- सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरकों के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागतों में कमी और किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है।
- सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती हैं।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

देश में पीडीएमसी योजना के अंतर्गत निधि जारी करने तथा उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)**	**सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**
2015-16	1556.73	5.73
2016-17	1991.24	8.40
2017-18	2819.39	10.49
2018-19	2918.38	11.59
2019-20	2700.02	11.73
2020-21	2562.19	9.37
2021-22	1796.12	10.15
2022-23	1901.37	11.02
2023-24	2103.50	11.40
2024-25	2793.37	11.19
2025-26 (so far)	1974.34	5.66
कुल	**25116.64**	**106.75**

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस):

सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक 100% केंद्र-वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, महिलाओं सहित सभी किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा पर उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (क्रॉप हस्बेन्डरी के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित राशि पर बैंकों को पहले वर्ष के लिए ब्याज सहायता उपलब्ध है और ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी। एनडीआरएफ सहायता प्रदान करने हेतु अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को पुनर्गठित फसल ऋणों पर ब्याज सहायता और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):

प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) खरीफ 2016 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत केवल बीमित किसानों को ही बुवाई-पूर्व से लेकर फसलोंपरांत तक के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, बीमा कंपनियाँ बीमांकिक/बोली प्रीमियम लेती हैं, लेकिन किसान को खरीफ मौसम के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए रबी मौसम के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम देना होता है। शेष बीमांकिक/बोली प्रीमियम को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां इसे केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है और सरकार द्वारा फंड रूटिंग एजेंसी अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सीधे बीमा कंपनियों को प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यतः (क) राज्य सरकार के हिस्से की सब्सिडी प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार ने ओडिशा सहित पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने सहित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** का विकास किया है।

दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए '**डिजिक्लेम मॉड्यूल**' नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एनसीआईपी का एकीकरण शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रदान किया जा सके, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग करने का कार्य लागू किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।

पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।

इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वस्तुपरक फसल क्षति एवं हानि आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है:

i. **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को धीरे-धीरे अपनाया जाएगा ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. स्वचालित मौसम केंद्रों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षामापी (एआरजी) का नेटवर्क स्थापित करने के लिए **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)**, जो ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा नेटवर्क का 5 गुना होगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभवों और विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचें।

<u>राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) :</u>

कृषि उत्पादकता को बनाए रखना, मिट्टी और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। उचित स्थान-विशिष्ट उपायों के माध्यम से इन दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि विकास को बनाए रखा जा सकता है। भारतीय कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है, जो देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% है और कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% है। इस प्रकार, वर्षा आधारित कृषि के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्न की बढ़ती माँग को पूरा करने की कुंजी है। इस उद्देश्य से, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एनएमएसए को अपना अधिदेश सतत कृषि मिशन से प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। मिशन दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्यनीतियाँ और कार्यक्रम (पीओए), जिसे दिनांक 23.09.2010 को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद (पीएमसीसीसी) द्वारा 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया था, का उद्देश्य भारतीय कृषि से जुड़े दस प्रमुख आयामों, जैसे 'उन्नत फसल बीज, पशुधन और मात्स्यिकी पालन', 'जल उपयोग दक्षता', 'कीट प्रबंधन', 'उन्नत कृषि पद्धतियाँ', 'पोषक तत्व प्रबंधन', 'कृषि बीमा', 'ऋण सहायता', 'बाज़ार', 'सूचना तक पहुँच' और 'आजीविका विविधीकरण', पर केंद्रित अनुकूलन उपायों

की एक श्रृंखला के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन उपायों को पुनर्गठन और अभिसरण की प्रक्रिया के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) के चल रहे/प्रस्तावित मिशनों/कार्यक्रमों/योजनाओं में शामिल और मुख्यधारा में लाया जा रहा है। एनएमएसए की संरचना को मृदा एवं जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास पर विशेष बल देते हुए, सतत कृषि से संबंधित सभी चल रही और साथ ही नई प्रस्तावित गतिविधियों/कार्यक्रमों को अभिसरित, समेकित और समाहित करके तैयार किया गया है। एनएमएसए का उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होगा।.

एनएमएसए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने, ऊर्जा कुशल उपकरणों को अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, एकीकृत खेती आदि के माध्यम से सतत विकास पथ को अपनाने के माध्यम से 'जल उपयोग दक्षता', 'पोषक तत्व प्रबंधन' और 'आजीविका विविधीकरण' के प्रमुख आयामों को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, एनएमएसए का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, बढ़ी हुई जल उपयोग दक्षता, रसायनों का विवेकपूर्ण उपयोग, फसल विविधीकरण, फसल-पशुधन खेती प्रणालियों को प्रगतिशील रूप से अपनाना और फसल-रेशम पालन, कृषि वानिकी, मात्स्यिकी आदि जैसे एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से स्थान-विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

<u>जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) :</u>

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई पीएमकेएसवाई) में दो प्रमुख घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी शामिल हैं, जिनका क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, एचकेकेपी में, चार उप-घटक (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) (iii.)जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (iv) भूमि जल संरक्षण शामिल हैं। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के शुभारंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समरूप कार्यान्वयन के लिए लिया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। तथापि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल घटक की स्वीकृति केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए वर्ष 2021-22 तक प्रदान की गई थी। साथ ही, प्रति बूंद अधिक फसल घटक, जो पहले एक घटक था, अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एंड डब्ल्यूएम के अंतर्गत क्रमशः 29.24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 22.21 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के अंतर्गत 5.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

*****